

शराब के नशे में धुत्त चालक ने ईंटों से भरे ट्रक को दुकानों में घुसाया, लाखों का नुकासान

ट्रक चालक ने बताया कि हरियाणा का कसोला चौक से शराब ली और रास्ते में पी थी, लेकिन किसी भी पुलिस थाने या चौकी द्वारा जांच नहीं की गई

किशनगढ़ बास, (निसं)। सोमवार देर रात्रि को शराब के नशे में धुत्त चालक के रहते बेकाबू हुआ ईंटों से भरा ट्रक तोप सर्कल में टक्कर मारता हुआ अनियंत्रित होकर स्कूल की दीवार के साथ लगे अस्थाई दुकाननुमा लकड़ी के खोखों में जा घुसा। धमाके के साथ ट्रक व खोखों में आग लग गई। इस भयानक हादसे में ट्रक पूरी तरह जल गया। वहीं क्षतिग्रस्त हुए ट्रक के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

पुलिस प्रशासन की सूचना पर किशनगढ़ बास, खैरथल व तिजारा से पहुंची दमकल वाहन ने करीब चार घंटे में आग पर काबू पाया और इस हादसे में बाल-बाल बचे शराब के नशे में धुत्त चालक व परिचालक को गिरफ्तार कर लिया। आग से 15 खोखों में करीब 30 लाख रुपए के रेडिमेड कपड़े व कॉस्मेटिक का सामान जलकर राख हो गया। बेकाबू हुए ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि खोखों के पीछे स्कूल की दीवार भी टूट गई।

जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे बस स्टैंड के बाहर तोप सर्कल पास अलवर रोड की ओर से आ रहे ईंटों से भरा एक ट्रक तोप सर्कल को टक्कर मारते हुए सरकारी स्कूल की दीवार के साथ लगे अस्थाई दुकाननमा खोखों में टक्कर के बाद पलट गया व ट्रक में आग लग



आग लगने के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया।

गई। आग की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह व पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गए। किशनगढ़ बास, खैरथल, तिजारा से आई दमकलों ने करीब 4 घंटे में आग पर काबू पाया। ट्रक चालक रफीक खान व खलासी हारून उर्फ मुन्ना रामगढ़ के गांव लाडपुर निवासी को मौके पर पहुंची पुलिस व लोगों ने सकुशल बाहर निकाल लिया।

पुलिस ने बताया कि जौद हरियाणा के गांव नरवाला से सोमवार दोपहर एक रामगढ़ के गांव लाडपुर निवासी चालक रफीक खान पुत्र मोहम्मद खान व

परिचालक हारून उर्फ मुनफेद मुन्ना पुत्र दोनू खा ट्रक में 12 हजार ईंट भरकर अलवर के रामगढ़ के निवाली गांव में लेकर जा रहे थे। हादसे में 15 लोगों के अस्थाई खोखों में लगी आग से करीब 30 लाख का नुकसान बताया गया है, जिससे मिश्री देवी पत्नी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पुत्र सीताराम, गोपाल दास सिंधी पुत्र लीलाराम, विजय सिंह देव पुत्र प्रचुचंद, प्रियंका पत्नी फतेह सिंह, गजराज पुत्र खेमचंद, राजेश पुत्र मांगेराम, विमला देवी पत्नी बनवारी, केला देवी पत्नी रमेश चंद, छोटे लाल पुत्र प्रभु दयाल, रीना देवी पत्नी रविंदर, छोटा देवी पत्नी

शेर सिंह, कमला देवी पत्नी रमेश, गजराज पुत्र रुपाराम आदि है।

चालक रफीक खान ने बताया कि हरियाणा का कसोला चौक से शराब ली और रास्ते में पी थी। कसौला चौक से किशनगढ़ बास तक शराब पीकर चालक ट्रक चला रहा था, लेकिन किसी भी पुलिस थाने या चौकी द्वारा जांच नहीं की गई जबकि पुलिस का सड़क सुरक्षा अभियान भी चल रहा है।

घटना स्थल पर खड़े सागरशाह व साहिल खान ने बताया कि अलवर रोड से तेजी से आ रहे ट्रक ने सर्किल पर पहुंचे अचानक ब्रेक लगाया। ब्रेक

■ **बेकाबू ट्रक सर्किल से टकराता हुआ स्कूल की दीवार के साथ लगे अस्थाई दुकाननुमा लकड़ी के खोखों में जा घुसा, 15 खोखों में आग लगी, 30 लाख नुकसान हुआ**

■ **चालक-परिचालक बाल-बाल बचे, पुलिस ने गिरफ्तार किया, तीन शहरों से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई**

लगाते ही सर्कल से टकराते हुए ट्रक पलट गया और अस्थाई खो-खो में जा घुसा। पलटने के बाद ट्रक में आग लग गई। आग आसपास खोखों में फैल गई। ट्रक में फंसा चालक चिलाने लगा बचाओ बचाओ। हम लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि ट्रक चालक व परिचालक को शराब के नशे में तंत्र गति व लापरवाही से ट्रक चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग पर शिकंजा कसना शुरू किया

बीकानेर, (निसं)। यहां रंगदारी और फिरोती की डिमांड करने के मामलों में पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले एक महीने में अलग-अलग थानों में रोहित गोदारा और उसके साथियों पर थानाधिकारियों की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने गैंग पर सख्ती करने के लिए एफआईआर दर्ज की है।

पहला मामला कोटगेट थाने में दर्ज हुआ तो दूसरा सदर थाने में दायर हुआ है। दोनों ही मामलों में रोहित गोदारा का नाम प्रमुखता से दिया गया है। मंगलवार को सदर थाना प्रभारी दिगपाल सिंह ने अपने ही थाने में रोहित गोदारा सहित पांच जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें जीतेंद्र चारण उर्फ जीतू, वीरेंद्र चारण, सुरेश बिशोई उर्फ शिकारी और रोहित राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें रोहित राणा पर आरोप है कि उसने सुखदेव चायल के घर के आसपास पहले रैकी की और बाद में रोहित गोदारा गैंग को इसकी सूचना दी। चायल से पिछले दिनों रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले की छानबीन में

■ **पिछले एक महीने में अलग-अलग थानों में रोहित गोदारा और उसके साथियों पर थानाधिकारियों की ओर से मामला दर्ज कराया गया है**

■ **पहला मामला कोटगेट थाने में दर्ज हुआ तो दूसरा सदर थाने में दायर हुआ, दोनों ही मामलों में रोहित गोदारा का नाम प्रमुखता से दिया गया है**

पुलिस को इनपुट मिला कि रोहित राणा ने ही उसके घर की रैकी की थी। पुलिस को रोहित गोदारा गैंग को सूचना देने की भी पुष्टि हुई है। इस मामले की जांच अब जयनारायण व्यास कॉलोनी के थानाधिकारी विक्रम तिवाड़ी को सौंपी गई है।

इससे पहले भी पुलिस ने एक एफआईआर 14 अक्टूबर को दर्ज की थी। इसमें भी पुलिस ने 24 जनों को नामजद किया। ये एफआईआर डॉक्टर श्याम अग्रवाल को धमकी देने की जांच के आधार पर दर्ज कराई गई। इसमें भी रोहित गोदारा सहित 24 लोगों को नामजद किया गया था। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की

धारा 111 के तहत ये मामले दर्ज किए हैं। जिसमें संगठित अपराध और सिंडिकेट बनाकर अपराध करने से जुड़ी शायंएं हैं।

इनमें अधिकांश में पांच साल की सजा और पांच लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। आमतौर पर पीड़ित व्यक्ति ही मामला दर्ज करवाता है लेकिन रोहित गोदारा के खिलाफ पुलिस स्वयं मामले दर्ज कर रही है। पिछले कुछ महीनों में रोहित गोदारा गैंग ने कई लोगों को धमकी देकर रंगदारी मांगी थी। इसमें डॉ. श्याम अग्रवाल, पीयूष शंगारी और सुखदेव चायल प्रमुख हैं। ऐसे में पुलिस ने गैंग पर सख्ती करने के लिए एफआईआर दर्ज की है।

छह वर्ष से फरार इनामी अपराधी गिरफ्तार

भिलवाड़ा, (निसं)। पुलिस थाना सदर व झिला स्पेशल टीम ने छह वर्ष से फरार चल रहे पांच हजार रुपये के इनामी अपराधी राजू उर्फ राजमल पुत्र जगदीश खटौटी निवासी दौलतगढ़, थाना आसींद, भिलवाड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

(मुख्यालय) पारसमल जैन और सहायक पुलिस अधीक्षक माधव उपाध्याय के निकट पर्यवेक्षण में की गई इस कार्रवाई में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली। जानकारी के अनुसार, 18 फरवरी 2010 को आजाद नगर, भिलवाड़ा निवासी जगदीश प्रसाद के साथ दो युवकों ने लूट की वारदात की थी। इस संबंध में थाना सदर पर प्रकरण दर्ज हुआ था।

सचिन पायलट ने वासुदेव देवनानी की पत्नी के निधन पर शोक जताया

अजमेर, (कासं)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को अजमेर दौर पर रहे। पायलट यहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इन्द्रा देवी के

■ **बिहार चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने दावा किया कि वहां इण्डिया महा गठबंधन की जीत निश्चित है**

■ **प्रदेश की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी पायलट आश्चर्य नजर आए**

निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। सचिन पायलट ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निवास पर पहुंचकर उनकी धर्मपत्नी इन्द्रा देवी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढाढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने देवनानी से मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदनाएं साझा कीं।

शोक व्यक्त करने से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने देश और प्रदेश की राजनीति पर खुलकर अपनी राय रखी। बिहार चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए पायलट ने दावा किया



अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात कर दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं साझा कीं।

कि वहां इण्डिया महागठबंधन की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों में बदलाव के नाम पर वोट किया है और नतीजे गठबंधन के पक्ष में ही आएंगे। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी पायलट आश्चर्य नजर आए। उन्होंने कहा कि वहां भी कांग्रेस पार्टी विजय हासिल करेगी।

प्रदेश और केंद्र की व्यवस्था पर तंज कसते हुए पायलट ने कहा कि वर्तमान में सरकार नाम की चीज ही नजर नहीं आ रही है। उन्होंने प्रशासनिक स्थितिलात की ओर इशारा करते हुए यह बात कही। 'वन स्टेट वन इलेक्शन' की

अर्द्धवार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल में आंशिक संशोधन

बीकानेर, (निसं)। प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा-2025 और 20 नवम्बर से शुरू होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तिथियों में टकराव के चलते शिक्षा निदेशालय ने अर्द्धवार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल में आंशिक संशोधन किया है।

जानकारी के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से 22 नवंबर को प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन विभिन्न जिलों में किया जाएगा। भर्ती परीक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 22 नवंबर को हिंदी सहित विभिन्न विषयों को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर अग 2 दिसंबर को करवाने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संशोधित टाइम टेबल को घोषित कर दिया है। नए टाइम टेबल के मुताबिक 22 नवंबर को दोनों परियों में आयोजित होने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विभिन्न विषयों की परीक्षाएं अब 2 दिसंबर को आयोजित की जाएंगी। हिंदी सहित 7 विषयों की परीक्षा जो पहले अलग-अलग पारी में 22 नवम्बर को होनी थी। अब वे 2 दिसंबर को होगी। परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उधर, शिक्षा निदेशालय में

20 नवंबर से शुरू होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर संयुक्त निदेशों और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 18 नवंबर तक सभी स्कूलों में प्रश्न पत्र पहुंचा दिए जाएंगे। वहीं निजी स्कूलों के प्रश्न पत्र राजकीय स्कूलों में रखे जाएंगे। प्रतिदिन की पारी के मुताबिक विषय बार एवं कक्षा बार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले निजी स्कूलों को प्रश्न पत्र का वितरण किया जाएगा।

भारत स्काउट व गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वावधान में 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी 23 नवंबर से 29 नवंबर तक लखनऊ में आयोजित की जाएगी। राजस्थान से इस जंबूरी में भाग लेने वाले स्काउट व गाइड अर्धवार्षिक की अर्द्धवार्षिक वार्षिक व प्रायोगिक परीक्षाएं जंबूरी के बाद स्कूल स्तर पर ही ली जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पहले भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण हरिद्वार से परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तिथियां में बदलाव करने पड़े हैं। राज्य सरकार को टकराव को रोकने के लिए राजस्थान परीक्षा नियामक बोर्ड के गठन का गठन करना चाहिए।

राजस्थान सरकार

कार्यालय-राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय करौली

मण्डरायल रोड, करौली, राजस्थान (322241)

Email ID: gmckarauli@gmail.com Telephone No. 07464-294340

क्रमांक- जी.एम.सी.ई.-निविदा/करौली/2025/1457 दिनांक-10.11.2025

NIB NO. 03/2025-26)

Sealed Single Stage Two-envelopes and unconditional online Bids for Rate contract for One year to provide 'Skilled And Highly skilled manpower for Government Medical College, Karauli are invited from interested bidders upto 17.11.2025 at 04.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.raajasthan.gov.in>) of the state. The approximate value of the procurement is Rs. 240 lakh.

UBN NO. MES2526A0116

प्रधानाचार्य एवं निवेदक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय करौली

DIPRC/16622/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

आरोपियों ने रामकेश से दोस्ती की और 30 सितंबर को बोलेरो में बिठाकर शहर में कपड़े-जूते दिलाए। बाद में सिलीसेढ़ के पास श्योदानपुरा में उसे शराब पिलाई और मिलकर उसकी हत्या कर दी। षड्यंत्र के तहत आरोपी अनिल ने अपने गुमशुदा भाई सुनील के दस्तावेज और मोबाइल नंबर मौके पर छोड़ दिए ताकि शव की पहचान सुनील के रूप में हो। अगले दिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मिले दस्तावेजों के आधार पर सूचना अनिल के परिवार को दी गई। परिवार ने शव को सुनील मानकर अंतिम संस्कार

की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन ठीक समय पर मूलक रामकेश के पिता राजू पुलिस के साथ पहुंच गए और बेटे की पहचान कर ली। पुलिस जांच में अनिल, पवन और याकूब तीनों दोषी पाए गए। तीनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। मंगलवार को एडीजे कोर्ट संख्या-1 के न्यायधीश धीरज शर्मा ने पवन और याकूब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि मास्टरमाइंड अनिल अदालत में पेश नहीं हुआ, इसलिए उसका फैसला लांबित रखा गया है।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

लघु अवधि निविदा सूचना संख्या 29/2025-26

केन्द्र / राज्य सरकार के विभागों एवं उनके उपक्रमों में 'अ' अथवा 'अअ' श्रेणी एवं रा.रा.वि.प्र.नि.ति. में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदाकारों से लघु अवधि निविदा सूचना संख्या 29/2025-26 में वर्णित कार्य हेतु संबंधित अधिशाही अभियंता (सिविल) कार्यालय के लिये निर्धारित प्रपत्र में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट <http://eproc.raajasthan.gov.in> व www.rvnp.co.in एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर उपलब्ध है।

UBN:- VPN2526WSOB02130 से VPN2526WSOB02133 (4)

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532

रा.रा.वि.प्र.नि./JR-7231/2025

राज.संवा.क/25/13532